


7/3020

श्रीम
न्यायालय
7/3020

दीर्घा/2020
 फावली फोन की वकील अर्जीगत अनुपस्थित है।
 अर्जीगत सब चीजें अनुपस्थित हैं / इनकी ओर से कोई
 दाय्य वकीलगी प्रस्तुत नहीं है / बारम्बार आवेजों
 लगाव की गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी
 उपस्थित नहीं है। अतः राजस्व अर्जिता प्रवर्धन
 - डायरी आदि पंजी में खारिज किया जाता है।
 फावली को लानुसार से। नम्बर से कम लेकर
 तखिल हस्तार है।

काउंट (अर्जिता) अजमेर


अखण्ड अधिकारी
 गिनाय (अजमेर)